कौशल सैटेलाइट केंद्र

महिलाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास और उपयोगिता कार्यक्रम
(टीडीयूपीडब्ल्यू/ए2के+)

महिलाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास और उपयोगिता कार्यक्रम

(टीडीयूपीडब्ल्यू /ए2के+) के तहत कौशल सैटेलाइट केंद्र हेतु प्रस्तावों की प्रस्तुति हेतु दिशा निर्देश

भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नोलजी भवन,नया मेहरौली रोड
नई दिल्ली- 110016
भाषा: 91-11-26520887/26590277/26590404,
फैक्स: 91-11.26520887
ई-मेल: priya@nic.in ; vandana.kalia@nic.in

सामान्य सूचना

1. प्रस्तावना

लैंगिक समानता पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यदि उचित अवसर और प्रोत्साहन दिया जाए तो महिलाओं में हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता होती है। हालांकि, महिलाओं को अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे आत्मविश्वास से दुनिया का सामना करने के लिए सशक्त हो सकें। सशक्तिकरण जागरूकता से शुरू होता है और बाद में क्षमता निर्माण के माध्यम से है।

2021 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की देशों की सूची में, भारत महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में 140-वें स्थान पर है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सतत विकास, गरीब समर्थक विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा है और अधिकारों और न्यायसंगत समाजों के बारे में है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार यदि महिला कार्यबल भागीदारी दर में सुधार किया जाता है तो भारत 2025 तक कार्यस्थल में लिंग अंतर को पूरी तरह से समाप्त कर अपनी जीडीपी को 2.9$ ट्रिलियन तक बढ़ा सकता है। यह 68 मिलियन और महिलाओं को गैर-कृषि श्रम बल में लाने के बराबर होगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार, 2012 में भारत में 30 लाख से अधिक बेरोजगार महिलाएं थीं। कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति, 2015, प्रशिक्षण की मुख्य धारा में लिंग की आवश्यकता का उल्लेख करती है और कौशल विकास को महिलाओं के लिए एक वाहन के रूप में देखती है। सशक्तिकरण अंतर को पाटने के लिए, नीति विशेष वितरण तंत्र जैसे कि मोबाईल प्रशिक्षण इकाइयों, लचीले दोपहर के बैचों के साथ-साथ स्थानीय जरूरतों पर आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करती है।

2. महिला आर्थिक सशक्तिकरण एक चुनौती

जो महिलाएं पीछे छूट जाती हैं उन्हें प्रचलित आर्थिक विकास का लाभ आसानी से नहीं मिल पाता है। भारत को एक रोजगार क्रांति की आवश्यकता है जो महिलाओं को आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी पूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण और भागीदारी की आवश्यकता है। महिलाएं दुनिया का 66% काम करती हैं और 50 % भोजन का उत्पादन करती हैं फिर भी केवल 1% आय अर्जित करती हैं और1% संपत्ति की मालिक हैं। सूदूर की महिलाओं तक पहुंचने और यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि इन महिलाओं को आर्थिक विकास और व्यापार के अवसरों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो। सैटेलाइट सेंटर महिलाओं को उनके घर के पास कुशल बनाने और अंततः आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद कर सकते हैं।

3.कौशल सैटेलाइट केंद्र

कौशल उपग्रह केंद्र स्थापित करने में डीएसआईआर का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और कौशल प्रदान करके महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। महिलाएं तभी फलती-फूलती हैं जब उनका समुदाय घर और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के काम को सही मायने में महत्व देता है और इसलिए, डीएसआईआर की यह पहल लैंगिक समानता की दिशा में काम करने और विकास के सभी स्तरों पर महिलाओं के काम को दृश्यमान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। डीएसआईआर ग्रामीण/आदिवासी या महिलाओं के अन्य जरूरतमंद समूहों के पास "कौशल उपग्रह केंद्र" स्थापित करने के प्रस्तावों का समर्थन करेगा, जो विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा स्थापित महिलाओं के लिए सामान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों से

अलग होगा। कौशल प्रशिक्षण के अलावा, उपग्रह केंद्रों में नामांकित सभी महिलाओं को लघु अवधि के साक्षरता पाठ्यक्रम से भी गुजरना होगा। विशिष्ट तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण के अलावा वित्तीय साक्षरता और उद्यम विकास पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, वे न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं बल्कि सामाजिक चुनौतियों का भी अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से स्थानीय महिलाओं को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में मदद की उम्मीद है।

3.1 केंद्र के कौशल सैटेलाइट केंद्रों के लाभ

- समुदाय में प्रचिलित परिवहन समस्या की देखभाल तथा आने जाने का समय बचाना।
- सुविधाजनक शिक्षण समय क्योंकि ग्रामीण भारत में महिलाओं के पास पढ़ने के साथ-साथ अन्य घरेलू कार्यों की जिम्मेदारियों के लिए बहुत सीमित समय उपलब्ध होता है। डीएसआईआर सैटेलाइट केंद्र उनकी सुविधा तथा समय की उपलब्धता के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों में उन्हें भाग लेने की अनुमति प्रदान करेगा।
- अधिक लाभार्थियों का पोषण।
- माता-पिताओं, पति-पत्नियों,बच्चों को सुरक्षा का आश्वासन।
- वित्तीय साक्षरता और ईडीसी को कवर करने वाला व्यापक पाठ्यक्रम।

3.2 कौशल सैटेलाइट केंद्रों के उद्देश्य

- महिलाओं को व्यावसायिक कौशल उपलब्ध कराना जिससे महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो सके तथा अपनी पारिवारिक आय को बढ़ाने में समर्थ होने के साथ-साथ समाज ने अपने मान-सम्मान में बढ़ोतरी कर सकें।
- तकनीकी सक्षमताएं तथा कौशल उपलब्ध कराना जिससे महिलाएं स्वयं रोजगार/उद्यमी बनने में समर्थ हो सकें।
- महिलाओं अथवा महिलाओं के समूहो को कार्यक्रमों सृजन आय अपनी अथवा रोजगा को सेल क्षमता का निमर्णा करने
- उन्हें नए कौशल आधारित प्रौद्योगिकी सिखाने में मदद करना जो उनकी प्रभावकारिता तथा उत्पादकता को उन्नत करेगा।
- व्यवहार्य समूहों में महिलाओं को सक्रिय रखना तथा, उत्पादक संपत्तियों के ऋण,अधिग्रहण तक पहुंच इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान करना।
- परियोजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करना।

3.3 कौशल सैटेलाइट केंद्रों द्वारा सहयोग

- अन्य उपकरणों तथा संशाधनों के बीच अनुकूलित प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षित सलाहकार जो महिला उद्यमियों को व्यावसायिक चुनौतियों से उबरने में मदद करेंगे।
- शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण, वित्त और बाजारों तक पहुंच के लिए त्वरित रणनीतियों, नवाचार और बूटस्ट्रेपिंग तकनीक।
- उत्पादकता बढ़ाने तथा कड़ी मजदूरी को घटाने के लिए प्रौद्योगिकी का कैसे प्रयोग किया जाए पर शैक्षिक कार्यक्रम।
- व्यापार मॉडल विकसित करने के लिए अवसर/ उद्यमिता।

- क्षेत्र विशिष्ट प्रदर्शन
- नेटवर्किंग अवसर।

4. संभावित क्षेत्र

क्र.सं.	क्षेत्र	सुझाव दिए गए व्यवसाय
1.	कुम्हारकर्म	टेराकोटा मृत्तिका वस्तुओं का उत्पादन ।
2.	स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई	कम लागत के सैनेट्री नैपकिनों के उत्पादन के लिए लघु इकाई।
3.	रेशम कीट पालन	शहतूत की खेती, कोकून पालन, रेशम धागा निकालना ।
4.	खाद्य प्रसंस्करण तथा पोषण	मूल्य वर्धित कृषि उत्पाद, पैकिट बंद खाद्य सामग्री, बिक्री सामग्री ।
5.	कृषि प्रसंस्करण	ऊतक संवर्धन, स्टेविया कृषि।
6.	समुद्र संबंधी उत्पाद प्रसंस्करण	मछली, मोती उत्पादन ।
7.	हथकरघा	हस्त निर्मित घरेलू सज्जा वस्तुएं, हस्त निर्मित कागज इत्यादि ।
8.	कपड़ा	खादी, ब्लॉक प्रिंटिंग इत्यादि।

महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले अन्य क्षेत्रों के प्रस्तावों का भी समर्थन किया जाता है।

5 लक्षित समूह

इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को कौशल उद्देश्यों के लिए लाभ पहुंचाना है जो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह की है।

6. पात्र संगठन

सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास/प्रसार से संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त अनुभव के साथ कार्यरत है, वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता मांगने वाले संगठनों को निम्न श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए:

- संस्थान जो केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेन्सियों, भारतीय विश्वविद्यालयों, अकादमिक संस्थानों, अनुसंधान और विकास संस्थानों और विशिष्ट कानूनी इकाई (जीएफआर 2017 के नियम 228 के अनुसार) वार्षिक आवर्ती अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं।
- भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न्यास।

संगठन को कम से कम 3 वर्षों के लिए असितत्व में होना चाहिए और रोजगार व उद्यमिता से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए गतिविधियों को करने का अनुभव होना चाहिए।

7. अवधि

कौशल उपग्रह केंद्र के लिए एक विशेष प्रस्ताव प्रारम्भ में अधिकतम 36 महीने की अवधि के लिए तैयार किया जा सकता है, जिसमें प्रशिक्षण के बाद की गतिविधि के मूल्यांकन के लिए निर्धारित समय भी शामिल है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/मॉड्यूल सामान्यतःपर तीन महीने की अवधि के होंगे और असाधारण मामलों में पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम छ; महीने की अवधि के साथ होंगे। प्रारंभिक अवधि की समाप्ति पर, जारी रखने का प्रस्ताव आउटपुट/परिणाम रिपोर्ट और आवश्यक औचित्य के साथ विचार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है

8. वित्त-पोषण के मानदंड

वित्तीय सहायता निम्नलिखित के अधीन होगे:

- आवेदक संगठन दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा

- प्रस्ताव में संस्था द्वारा अपेक्षित सहायता के प्रकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। तथापि, वित्तीय सहायता केवल जनशक्ति, उपभोज्य, बुनियादी उपकरण, देश के भीतर यात्रा, परियोजना की समीक्षा और निगरानी पर खर्च, संस्थागत उपरि प्रभार (नियमों के अनुसार) आदि पर खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान की जाएगी।

- विभाग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन विभाग द्वारा गठित "परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी)" द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। कार्यकारी एजेंसी गठित पीआरसी द्वारा परियोजना की आवधिक समीक्षा के लिए आवश्यक सहयोग और सुविधाएं (डीएसआईआर अधिकारी को छोड़कर, परियोजना समीक्षा समिति के सभी सदस्यों को टीए/डीए और मानदेय सहित) प्रदान करेगी।

- प्रशिक्षण प्रत्येक सप्ताह छह दिनों के लिए होने की उम्मीद है, प्रति दिन छह घंटे के प्रशिक्षण समय के साथ, यात्रा के लिए विशेष ब्रेक, दोपहर का भोजन यानि क्रमशः 3 और 6 महीने के पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम 432 घंटे और 864 घंटे। ध्यान प्रशिक्षण पर होना चाहिए न कि मूल्यांकन या प्रमाणन पर। प्रति वर्ष कम से कम 100 से 150 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

- प्रशक्षिण के दौरान जलपान उपलब्ध कराने की लागत प्रति प्रतिभागी के लिए, प्रतिदिन 75/-रुपये से अधिक नहीं हो सकती।

- परियोजना लागत में लाभार्थी पाठ्यक्रम तैयार करना, उपकरण कच्चा माल और शिक्षण सहायक समाग्री जैसे मद शामिल हो सकते हैं, लेकिन डीएसआईआर द्वारा सहायता प्राप्त प्रस्ताव लागत के 25% से अधिक नहीं हो सकती।

- बाद में अनुदान जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना होगा। संस्था/संस्था इस आशय का एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगी कि व्यय स्वीकृत अनुदान के अनुसार किया गया है। ईएटी मॉड्यूल अनुपालन अनिवार्य है।

- कौशल उपग्रह केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों को भारत सरकार के नहीं बल्कि आवेदक संगठन/संस्था के कर्मचारियों के रूप में माना जाएगा और उनकी सेवा की शर्तें ऐसे व्यक्तियों पर लागू संगठन के नियमों और आदेशों के अनुसार संचालित होंगी।

- डीएसआईआर भूमि या भवनों पर किसी पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण नहीं करेगा।

- कौशल उपग्रह केंद्रों की परियोजना के पूरा होने पर, संगठन/संस्थान सहायक दस्तावेजों जैसे फोटोग्राफ, और सहायता अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र के साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

- आवेदक संगठन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रदान किए गए पाठ्यक्रम पर एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

- डीएसआईआर द्वारा जारी अनुदान की शेष राशि को डीएसआईआर को वापस करनी होगी।

- लक्ष्य के संबंध में संगठन के असंतोषजनक प्रदर्शन/गैर प्रदर्शन के कारण डीएसआईआर को अर्जित ब्याज के साथ जारी सहायता अनुदान की वापसी होगी।

- यदि यह पाया जाता है कि कौशल सैटेलाइट केंद्रों का कार्यान्वयन असंतोषजनक या अनुव्यप्रयुक्त है, ऐसी स्थिति में डीएसआईआर का कौशल सैटेलाइट केंद्रों को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

9. आवेदक संगठन द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें : (अनुलग्नक)

कौशल सैटेलाइट केंद्र के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय आवेदन करने वाले संगठन को आवेदन के साथ निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत करे:

- उस क्षेत्र की आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट जहां कौशल सैटेलाइट केंद्र को स्थापित किया जाना है।
- कौशल सैटेलाइट केंद्र का लागत लाभ विश्लेषण।
- उन महिला समूहों को लक्षित करें जो कौशल उपग्रह केंद्र से लाभान्वित होंगे।
- कौशल प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का विवरण (प्रौद्योगिकी का प्रसार किया जाना है, वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम और उद्यमिता विकास पाठ्यक्रम विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है)
- संभावित व्यावसायिक उद्यम जिन्हें स्किल सैटेलाइट सेंटर जन्म देगा।
- स्किल सैटेलाइट सेंटर को टिकाऊ बनाने के लिए संभावित बिजनेस मॉडल।
- कौशल उपग्रह केंद्र के लिए एक निर्धारित स्थान दिखाते हुए प्रदान किया जाने वाला ले-आउट नक्शा।

10. दिशा निर्देश और आवेदन का प्रारूप

कौशल सैटेलाइट केंद्र के दिशा निर्देशों और आवेदन प्रारूप के लिए यहाँ क्लिक करें।

किसी अन्य विवरण के लिए आप सम्पर्क कर सकते हैं:

डा. सुजाता चकलाअध्यक्ष (ए2के+)
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नॉलजीभवन, नया महरौली मार्ग
नई दिल्ली - 110016
दूरभाष : 011-26520887, 26590277
फैक्स : 011 – 26520887
ई-मेल : priya@nic.in

प्रारूप – क

अग्रेषण पत्र

सेवा में

दिनांक:

डा . सुजाता चकलानोबिस
वैज्ञानिक “जी” एवं अध्यक्ष (ए2के+)
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नॉलजी भवन, नया महरौली मार्ग
नई दिल्ली - 110016

विषय: उपक्रम हेतु प्रस्तावना ----------

महोदय,

मुझे ..... के उपक्रम के प्रस्ताव को इसके साथ अग्रेषित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुल .....रुपये (रुपये .....मात्र) लागत पर परियोजना को ..... माह/ की अवधि में पूरा करने का प्रस्ताव है। श्री./सुश्री/डॉ..... जो इस संस्था में ..... के रूप में कार्यरत हैं, परियोजना निदेशक/प्रधान अन्वेषक होंगे।

मैं प्रमाणित करता हूं कि यह संस्था परियोजना को पूरा करने के लिए निम्न प्रकार से सभी सुविधाएं और आधारभूत संरचना प्रदान करेगी:

क) यह प्रस्ताव या इसी तरह का अन्य प्रस्ताव किसी अन्य एजेंसी/विभाग को वित्त पोषण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है/प्रस्ताव भी ..... को प्रस्तुत किया गया है। रु.....लाखों तक के आंशिक वित्त पोषण के लिए।

ख) परियोजना निदेशक/प्रधान अनुसंधान अन्वेषक परियोजना के पूरा होने तक संस्था में कार्य करते रहेंगे। यदि परियोजना निदेशक परियोजना को पूरा किए बिना चला जाता है, तो संस्था तुरंत एक उपयुक्त परियोजना निदेशक/प्रधान अनुसंधान अन्वेषक का सुझाव देगी और उसे नए परियोजना निदेशक/प्रधान अनुसंधान अन्वेषक के रूप में नियुक्त करने के लिए डीएसआईआर की अनुमति लेनी होगी। संस्थान मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना को पूरा करने की पूरा दायित्व लेगा।

ग) संस्थान परियोजना की प्रगति की निगरानी, प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र आदि भेजने और उचित और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना प्रस्ताव पर अनुकूल रूप से विचार किया जाए।

2. संलग्न दस्तावेजों का विवरण संलग्न जांच सूची में दिया गया है

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

संस्थान के प्रमुख का नाम और स्टाम्प

प्रारूप ख

जांचकर्ताओं द्वारा प्रमाण पत्र

परियोजना का शीर्षक **.....**

1. मैंने/हमने वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया।

2. मैंने/हमने यह पता लगाया है और सुनिश्चित किया है कि परियोजना के उद्देश्य के लिए उपकरण और सुविधाएं (जैसा कि खंड में बताया गया है) वास्तव में जब औरजैसाआवश्यक हो, उपलब्ध होगी। मैं/हम इन मदों की खरीद के लिए इस परियोजना के तहत वित्तीय सहायता का अनुरोध नहीं करेंगे।

दिनांक :----------

स्थान :----------

जांचकर्ताओं का नाम और हस्ताक्षर

प्रारूप ग

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास और समुपयोजन कार्यक्रम के **तहत कौशल सैटेलाइट केंद्रों हेतु प्रस्तावों की प्रस्तुति हेतु प्रपत्र टीडीयूपी डब्ल्यू/ए2के+**

कार्यालीन उपयोग हेतु परियोजना कोड; प्राप्ति की तारीख द्वारा प्राप्त किया टी ए सी की संख्या और तिथि निर्णय;

भाग 1: सामान्य सूचना और तकनीकी विवरण

1	परियोजना का शीर्षक	
2	परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले संस्थान/विश्श्वविद्यालय/संगठन का नाम एवं पता	
3	संगठन की स्थिति (क्या यह पंजीकृत सोसाइटी,न्यास)और इसके कार्यकलापों का विवरण (100 शब्दों में)	
4	आवेदन अग्रेषित करने वाले कार्यकारी प्राधिकारी का नाम और पदनाम	
5	संगठन के बैंक एकाउंट नंबर का विवरण (कृपया ईसीएस फार्म भरें) क्या आवेदन के साथ भरा हुआ ईसीएस फार्म संलगन है?	
6	<u>परियोजना जांचकर्ता का विवरण</u> नाम पदनाम पता शहर टेलीफोन,फैक्स,ईमेल,मोबाईल सह परियोजना के पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण संलग्न करें	

7	<u>सह – परियोजना जांचकर्ता विवरण</u> नाम पदनाम पता शहर टेलीफोन,फैक्स,ईमेल,मोबाईल सह परियोजना के पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण संलग्न करें	
8	परियोजना के उद्देश्य	
9	परियोजना के संक्षिप्त विवरण का सारांश (एक पृष्ठ से अधिक न हो)	
10	स्थिति की संवीक्षा (निम्नलिखित में से प्रत्येक को कवर करती हुई जो 600 से अधिक ना हो)विषय में विकास की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति,राष्ट्रीय स्थिति,वर्तमान स्थिति के संदर्भ में प्रस्तावित परियोजना का महत्व,कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख,लक्षित महिला लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति,आवश्यक मूल्यांकन,स्थानीय संसाधनों का चित्रण,प्रस्तावित तकनीकी समाधान का महत्व ।	
11	अवधि/समय सारणी	
12	प्रारम्भ की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां (प्रस्तावित क्षेत्र में संस्थान के तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करना और ज्ञान संस्थान सहित प्रस्तावित सहयोग जो एक पृष्ठ से अधिक ना हो	
13	कार्यप्रणाली	
14	लक्ष्य और सुपुर्दगियाँ	

15. गतिविधि अनुसूची

क्र.सं.	कार्य	गतिविधियाँ	माह												अवधि	किया गया काम

16. विगत पाँच वर्ष की अवधि के दौरान पूर्ण की गई प्रमुख परियोजनाओं का विवरण;

परियोजना का शीर्षक

परियोजना अन्वेषक का नाम

उस एजेंसी /संस्था का नाम जिसने परियोजना की सहायता की

परियोजना की अवधि

परियोजना की लागत

प्रमुख परिमाण

17. मौजूदा सुविधा (सुविधाओं की उनकी लागत सहित पूर्ण सूची दें)

17.1 उपलब्ध उपकरण और परियोजना हेतु उपयोग की गई उपस्कर

17.2 संस्थान में परियोजना हेतु उपयोग किए जाने वाले उपलब्ध विशेषज्ञ /जनशक्ति

18. डी एस आई आर का सहयोग समाप्त होने के बाद परियोजना की संधारणीयता ।

19. क्या समान या एक जैसा प्रस्ताव किसी अन्य एजेंसी को पूर्ण या अल्पकालिक सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें ।

20. नाम, पता टेलीफोन सं. मोबाईल न. और इस क्षेत्र के दस विशेषज्ञों का ई –मेल

भाग-।।बजट विव रण

21. कुल बजट

कृपया निम्नलिखित रुकावटों का उल्लेख करें और प्रत्येक शीर्ष और उप शीर्ष के लिए औचित्य अलग से उपलब्ध कराएं।

21.1 जनशक्ति :

पदनाम	व्यक्तियों की सं.	वांछित वित्तीयसहायता की मात्रा	कुल (रू0 में)

21.2 उपभोज्य सामग्री :

उपभोज्य सामग्री का विवरण	वर्षवार मात्रा	कुल राशि (रू0 में)

21.3 यात्रा (वर्षवार रुकावट)

उद्देश्य	पहला वर्ष	दूसरी वर्ष	कुल (रू0 में)

21.4 उपकरण (लागत और औचित्य सहित उपकरण का विवरण दें)

21.5 निगरानी और संवीक्षा बैठकें

21.6 संस्थाग ओवरहेड (@ परियोजना लागत का 10%)

22. उपरोक्त कालम 21.1 से 21.6 में उल्लिखित शीर्ष के तहत वर्ष वार संक्षिप्त सारणी

नोट:कृपया प्रत्येक शीर्ष और उप- शीर्ष हेतु अलग-अलग औचित्य दें।

स्थान

पी आई का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

दिनांक